न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **44/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री नवरतनमल पिता पूरणमल जोशी नि0 11/473 , जोशी भवन, चर्च रोड़, आजाद नगर, भीलवाडा **—अपीलार्थी**	**बनाम**	1.लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द **—प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 14/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 22.05..2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.04.2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 921168 जरिये डाक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को प्रेषित कर सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 25/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द ने अपने पत्रांक/रीडर/2018/922 दिनांक 11.06. 2018 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में श्री नारायण पिता घीसा व सायरी पत्नि नारायण गुर्जर नि0 आमेसर से सम्बन्धित खातेदारी की पत्रावली की नकल चाही गई। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/रीडर/2018/580 दिनांक 09.04.2018 को वांछित नकल तैयार कर 30 रूपये के टिकिट पेश करने हेतु अपीलार्थी को लिखा गया अर्थात अपीलार्थी को वांछित नकलों के कितने पृष्ठ बनते हैं तथा कुल राशि कितनी बनती है स्पष्ट नहीं किया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी को राशि जमा कराने से सम्बन्धित कोई पत्र नहीं मिलना वक्त उपस्थित न्यायालय से निवेदन किया। प्रत्युत्तर के साथ सम्बन्धित सूचना की नकल की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्राप्त हुई जो न्यायालय में उपस्थित अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई। उक्त सूचना अपीलार्थी को प्राप्त होना वक्त न्यायालय में उपस्थित हो स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकार किया। प्रत्यर्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी उपस्थित जिनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि प्रत्यर्थी के द्वारा तैयार सूचना की राशि जमा कराने के सम्बन्ध में कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। आज दिनांक को सूचना निःशुल्क प्राप्त हुई है परन्तु विलम्ब से दी गई है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 03.04.2018 में अंकित सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क प्राप्त हो चुकी है जिसे स्वयं अपीलार्थी ने प्राप्त होना स्वीकार किया है। अपीलार्थी को वांछित सूचना की राशि जमा कराने हेतु समयावधि में सूचित किया गया परन्तु उक्त सूचना पत्र अपीलार्थी को प्राप्त हुआ या नहीं उससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जिसे स्वयं अपीलार्थी ने भी वक्त पेशी न्यायालय में बताया कि उसे कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना वक्त पेशी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई वह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने से अपील में कोई सार नहीं रहता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
अपीलेट अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
भीलवाड़ा